सत्यमेव जयते
Web Copy

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 35/2018

दायर दिनॉक 08.03.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुशीला पत्नी स्व0 हेतुराम 2. गणेशाराम पुत्र स्व0 हेतुराम समस्त जाति बंजारा निवासीगण तोषिणा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. देदाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र 2. मिश्रीलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र 3. डूंगाराम पुत्र स्व0 हेतुराम 4. मेवाराम पुत्र स्व0 हेतुराम समस्त जाति गिंवारिया (बंजारा) निवासीगण तोषिणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित:–

1. श्री इस्लामुदनी वकील, प्रतिवादी सं0 01

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 09.12.2019

मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 देदाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हेतुराम प्रतिवादी सं0 01, 02 के पिता स्व0 रामचन्द्र की खरीद सुदा कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 834 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा मौजा तोषीणा अवस्थित हो सरसर गलत है। उक्त खसरा नम्बर 833 कतही स्व0 रामचन्द्र की खरीदी हुई नहीं थी बल्कि उक्त खसरा नम्बर 833 प्रतिवादी सं0 01 की निजी रजिस्टर्ड खरीद सुदा एकल खातेदारी सुदा है। जिसकी रजिस्ट्री खरीद व खतौनी की नकल संलग्न है। इसलिए उक्त वादग्रस्त खसरा नं0 833 मौजा तोषीणा पैत्रक भूमि नहीं होने से प्रार्थी को कतही प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र हैतुक उत्पन्न हुआ है तथा ना ही न्यायालय हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इसलिए प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने तथा प्रार्थीगण को हैतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वाद पत्र कलम संख्या 04 में इकरारनामा दिनांक 24.07.2002 का उल्लेख कर उक्त प्रार्थना पत्र इकरारनामा पर आधारित पेश किया है जो कि इकरारनामा पर आधारित प्रार्थना पत्र सुनने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार कतही प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार कतही प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार पेश किये जाने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।

अतः दर0 पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु कई अवसर लिये परन्तु वकील प्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया। अतः वकील प्रार्थी का जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई। दिनांक 06.12.2019 को बहस हेतु वकील प्रार्थी को बार-बार आवजे लगाई गई। परन्तु वकील प्रार्थी हाजिर नहीं हुए तत्पश्चात वकील अप्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 833 अप्रार्थी सं0 01 देदाराम की निजी रजिस्टर्ड खरीद सुदा एकल खातेदारी सुदा है। जिसकी रजिस्ट्री खरीद व खतौनी की नकलें पेश की। इसलिए उक्त वादग्रस्त खसरा नं0 833 मौजा तोषीणा पैत्रक भूमि नहीं होने से प्रार्थी को कतही प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा ना ही न्यायालय हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इकरारनामा दिनांक 24.07.2002 के आधार पर पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने तथा वादीगण को हैतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया वाद पत्र को खारिज किया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी सं0 01 ने रजिस्ट्री व इकरारनामा की प्रतियां पेश की। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके सरहद तोषीणा के खसरा सं0 833 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 देदाराम की खरीद सुदा जायगा है तथा उक्त जायगा पैत्रक नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद इकरारनामा के आधार पर पेश किया है। जिसको सुनने का श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त पंजीकृत बैचाणनामा को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

है। पंजीकृत दस्तावेज एक वैद्य दस्तावेज है। इकरारनामा के आधार पर प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.12.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:40:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: